

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राजस्थान जयपुर

क्रमांक-एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/

दिनांक

-:आदेश:-

इस निदेशालय के आदेश क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/472 दिनांक 09.08.11 को तत्काल प्रभाव से प्रत्याहित (Withdraw) किया जाता है।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर

दिनांक 10/8/11

क्रमांक-एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान जयपुर।
3. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग राजस्थान जयपुर।
4. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) निदेशालय मुख्यालय।
5. प्रधानाचार्य, एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर।
6. अधीक्षक, एसएमएस/जनाना/जेके लोन अस्पताल जयपुर।
7. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये जोन राजस्थान।
8. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
9. संबंधित कर्मचारियों को सूचनार्थ।
10. आदेश/निजी पत्रावली।

प्रभारी,
स्वतंत्र कार्य
मुख्यालय -

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर